महत्वपूर्ण

संख्या-5 /1379/26-3-2013-4(358)/07-टी0सी0-2

प्रेषक,

के0राम मोहन राव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 24 सितम्बर, 2013

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2012 के कार्यान्वयन हेतु समय सारिणी का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या 2207/26-3-2012-4(358)/07-टी0सी0-2, दिनांक 26 सितम्बर, 2012 द्वारा "उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012" एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-12/26-3-2013-रिट(23)/2011, दिनांक 07 जनवरी, 2013 द्वारा "उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012" जारी की गयी है।

2- उक्त नियमावली के प्राविधानों को शिक्षण सत्र 2013-14 में लागू करने हेतु शासनादेश संख्या 1122/26-3-2013-4(358)/07-टी0सी0-2, दिनांक 30 अगस्त, 2013 द्वारा समय-सारणी निर्गत की गयी है।

3- शिक्षण सत्र 2013-14 में नवीन शिक्षण संस्थाओं एवं उनमें संचालित

http://shasanadesh.up.nic.in

विभिन्न पाठ्यक्रमों को मास्टर डाटा-बेस में सम्मिलित करने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक 2287/स0क0/शिक्षा-अ/2013-14, दिनांक 06-09-2013 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचार करते हुए निम्नवत् तिथि निर्धारित की जाती है :-

"वित्तीय वर्ष 2013-14 में नये शिक्षण संस्थाओं/कोर्स को संचालित होने पर 'मास्टर डाटा बेस' व पाठ्यक्रमों का 'कोर्स मास्टर' अध्यावधिक करने, शिक्षण संस्थाओं का नाम व विवरण मास्टर डाटा बेस में जिलाधिकारी की अनुमति से शामिल करने हेतु दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 तक तथा निर्धारित तिथि तक छूट गयी संस्थाओं के संबंध में उपयुक्त कारण दर्शाये जाने पर जिलाधिकारी की संस्तुति पर एवं निर्धारित तिथि के पश्चात नवीन मान्यता प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाओं के नाम 'मास्टर डाटा बेस' में मण्डलायुक्त की अनुमति से दिनांक 30 नवम्बर, 2013 तक जोड़े जा सकेंगे।"

कृपया उपरोक्त से अवगत होते हुये प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के0राम मोहन राव)
सचिव

संख्या- 1379(1)/26-3-2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई-मेल के माध्यम से भेजें।
2. समस्त मण्डलीय संयुक्त एवं उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
3. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. सलाहकार, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

http://shasanadesh.up.nic.in

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in